

न्यायालय :-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट

**श्रृंखला न्यायालय-बैहर
(पीठासीन अधिकारी-वाचस्पति मिश्र)**

नियमित व्यवहार अपील क्र.-17/2017
संस्थित दिनांक - 27.07.2017
Filling No. 182/2017
CNR No-MP5005-001797-2017

- 1- शांतिबाई उम्र 50 वर्ष पिता फगनू पति भगत जाति गोंड निवासी-पांडूतला
 - 2- झगलीबाई उम्र 40 वर्ष पिता फगनू पति दशरत गोंड निवासी-टोपला
 - 3- झामसिंह उम्र 24 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
 - 4- तोकसिंह उम्र 22 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
 - 5- लोकसिंह उम्र 20 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
 - 6- शिवानी उम्र 18 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
- सभी तहसील बैहर जिला बालाघाट - - **अपीलार्थीगण / वादीगण**

:: बनाम ::

- 1- अमरोतिनबाई उम्र 50 वर्ष पिता सुदामा जाति गोंड साकिन अलना
 - 2- हरिलाल उम्र 24 वर्ष पिता सुदामा जाति गोंड साकिन अलना
 - 3- सुखदेव उम्र 40 वर्ष पिता नवनलसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 4- देवेन्द्र उम्र 28 वर्ष पिता बखरूसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 5- संजय उम्र 35 वर्ष पिता बखरूसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 6- जेठूसिंह उम्र 60 वर्ष पिता कोपसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 7- टेकसिंह उम्र 40 वर्ष पिता कोपसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 8- म0प्र0 शासन तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट
- सभी तहसील बैहर जिला बालाघाट- - **प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण**

=====

{न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्य.वाद क्रमांक 10ए/2017 शांतिबाई वगैरह बनाम अमरोतिनबाई वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 से उद्भूत होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

श्री एम.पी. शरणागत अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 1 से 7

=====

— / / / निर्णय / / / —

(आज दिनांक 07 मई 2018 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह नियमित व्यवहार अपील विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2017 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने मौजा कोयलीखापा, प.ह.न. 55 रा.नि.मं. बैहर वर्तमान रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 51 रकबा 5.70 एकड़, खसरा क्रमांक 52 रकबा 14 एकड़ के संबंध में स्वत्व षोषणा, कब्जा तथा आक्षेपित संशोधन पंजी की इंट्री दिनांक 31.08.2014 को प्रभाव शून्य घोषित किए जाने के संबंध प्रस्तुत दावा निरस्त किया है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद का सार यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी/अपीलार्थी के पूर्वज कोपासिंह के नाम राजस्व प्रपत्रों में दर्ज है। कोपासिंह की मृत्यु पश्चात् शेष भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 12.44, खसरा नंबर 52 रकबा 14 एकड़, खसरा नंबर 38/28 रकबा 0.57 एकड़ मौजा कोयलीखापा, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. बैहर वर्तमान रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट बेवा जेठियाबाई, पुत्र छोटेलाल एवं फगनू के नाम आयी तथा वे कास्त करते थे अर्थात् उक्त भूमियां छोटेलाल, फगनू, जेठियाबाई को वर्ष 1954-55 में प्राप्त हुई। उक्त भूमि उनकी स्व-अर्जित श्रेणी की भूमि है। यह भी कहा गया है कि वादी/अपीलार्थीगण गोंड जन जाति के सदस्य होकर प्रथागत नियम से शासित है अथवा जिनपर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है। यह भी कहा गया है कि गोंड जनजाति में पुत्रियों को उनके माता-पिता की अर्जित एवं पैतृक भूमि पर अधिकार पूर्वक हिस्सा नहीं दिया जाता है अथवा उनको जो हिस्सा एलाट किया जाता है उसे वे प्राप्त करते हैं। यह भी कहा गया है कि पुत्र और पत्नि के रहते हुए उक्त प्रकार की भूमि

का कोई हक हिस्सा पुत्रियों को प्रदान नहीं किया जाता है। यह भी कहा गया है कि जिस भूमिस्वामी की पुत्र, पत्नि नहीं होते थे केवल पुत्रियों होती है तब वे हक प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है।

3. यह भी कहा गया है कि जेठियाबाई के फौत होने एवं छोटेला के लावल्द अवस्था में मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि के स्वामी वादी/अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 के पिता एवं अपीलार्थी क्रमांक 3 लगायत 6 के नाना फगनू को हिस्से में आयी तथा फगनू एकमात्र स्वत्वधारी रहकर कास्त किया करते थे। यह भी कहा गया है कि वादी/अपीलार्थी क्रमांक 1, 2 शांतिबाई एवं झगलीबाई एवं मगलीबाई फगनू की पुत्रियां हैं जिसमें मगलीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलार्थी क्रमांक 3, 6 मृतिका मगलीबाई के वारिसान हैं। यह भी कहा गया है कि वादी/अपीलार्थी रोजगार के सिलसिले में बाहर चले गये तब उक्त वादग्रस्त भूमि का उक्त भाग मूल पुरुष कोपासिंह की पुत्री जुगरीबाई के वारिसान को अधिया में दी गई थी। बाद में प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ, मिलीभगत कर उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया। यह भी कहा गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमियां भराव क्षेत्र में आने से कृषकों को मुआवजा प्राप्त हुआ लेकिन वादी/अपीलार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। नकल लेने पर जानकारी मिली कि उक्त भूमि राजस्व प्रपत्रों में प्रतिवादीगण ने बिना हक अधिकार के नामांतरण, संशोधन कराकर दिनांक 31.08.2014 को अवैध ढंग से बंटवारा करवा लिया जो की वादी/अपीलार्थी पर बंधनकारी नहीं है।

4. उक्त आधार पर राजस्व प्रपत्रों में खसरा क्रमांक 51/1 रकबा 5.70 एकड़, खसरा क्रमांक 52 रकबा 14 एकड़ ग्राम मौजा कोयलीखापा, प.ह. न. 55 रा.नि.मं. बैहर वर्तमान स.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित भूमि पर वादी/अपीलार्थीगण को अनन्य स्वत्व प्राप्त है एवं राजस्व प्रपत्रों में प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज की गई प्रविष्टि शून्य है। उक्तानुसार

4 नियमित व्यवहार अपील क.17/2017

संशोधन आदेश दिनांक 31.08.2014 शून्य घोषित किए जाने तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व, घोषणा, कब्जा प्रदान किए जाने की याचिका संस्थित की गई है।

5. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण सुनवाई में अनुपस्थित होकर एकपक्षीय है।

6. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत वादप्रश्न निर्मित कर एवं साक्ष्य अभिलिखित कर आक्षेपित निर्णय डिक्री, निर्णय की कंडिका क्रमांक 1 के अनुसार पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विधि अभिलेख के परे जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त किए जाने योग्य है।

अवधार्य प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 28.06.2017 विधि एवं अभिलेख के विपरीत होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

निष्कर्ष के आधार :-

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि और अभिलेख के परे जाकर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। यह भी आधार लिया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गोंड जन जनजाति के संबंध में प्रचलित प्रथागत विधि के संबंध में सही अर्थान्वयन नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री विधि के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है। इसके विपरीत अपील के स्टेज पर प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत होकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के समर्थन में प्रबल तर्क किया है

और यह कहा गया कि मूल पुरुष कोपा ने उक्त भूमि के अंश भाग को प्रत्यर्थी के पक्ष में एलाट किया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। उभयपक्ष के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मूल पुरुष कोपासिंह के नाम राजस्व प्रपत्रों में दर्ज थी। उभयपक्ष के मध्य वंशवृक्ष भी एक स्वीकृत तथ्य है।

9. वर्तमान प्रकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम विधिक स्थिति की विवेचना किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

10. The customary law of scheduled tribe has been preserved under section 2(2) of the Hindu Succession Act. 1956 but in a such case it is for the person setting up the plea of exclusion of daughter from inheritance to prove and establish that there is such a caste custom. A custom is a rule which has by long usage obtained the force of law. It must be sufficient, certain and reasonable. It should be established by clear, cogent, unambiguous evidence. It is only by means of such evidence that the Court can be assured of its existence and of the fact that it possesses the conditions of antiquity and certainty on which alone legal title to recognition depends. It is incumbent on a party setting up a custom to allege and prove the custom on which he relies.

11. उक्त संदर्भ में :- **मधुकिश्वर बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 1996 सु.को. 1864 अवलोनीय है।**

12. Traditionally and historically, the agricultural family is identified by the male head and this is what Section 7 and 8 recognize. But on his death, his dependent family females, such as his mother, widow, daughter, daughter-in-law, grand-daughter, and

others joint with him have, under Section 7 and 8, to make way to a male relatives within and outside the family of the deceased entitled thereunder, disconnecting them from the land and their means of livelihood. Their right to livelihood in that instance gets affected, a right constitutionally recognized, a right which the female enjoyed in common with the last male holder of the tenancy. It is in protection of that right to livelihood, that the immediate female relatives of the last male tenant have the constitutional remedy to stay on holding the land so long as they remain dependent on it for earning their livelihood, for otherwise it would render them destitute. It is on the exhaustion of, or abandonment of land by, such female descendants can the males in the line of descent take over the holding exclusively. In other words, the exclusive right of male succession conceived of in section 7 and 8 has to remain suspended animation so long as the right of livelihood of the female descendant's of the last male holder remains valid and in vogue. It is in this way only that the constitutional right to livelihood of a female can interject in the provisions. to be read as a burden to the statutory right of male succession, entitling her to the status of an intervening limited dependent/descendants under section 7 and 8. In this manner alone, and upto this extent can female dependents/descendants be given some succour so that they do not become vagrant and destitutes. To this extent, it must be so held. We would rather, on the other hand, refrain from striking down the provisions as such on the touchstone of Article 14 as this would bring about a chaos in the existing state of law. The intervening right of female dependents/descendants under section 7 and 8 of the Act are carved out to this extent, by suspending the exclusive

right of the male succession till the female dependent/descendent chooses other means of livelihood manifested by abandonment or release of the holding kept for the purpose.

13. विधि यह है कि आक्षेपित गोंड जनजाति के अंतर्गत उक्त विवादित कस्टम के अस्तित्व के संबंध का प्रमाण भाग उसी पक्ष पर शेष रहता है जो कि कस्टम रूढ़ि पर आधारित होकर अपना दावा प्रस्तुत करता है।

14. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के सूक्ष्म परीक्षण से यह पाया जाता है कि गोंड जन जाति में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर पिता की मृत्यु पश्चात् कोई (Legal right) विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है इस संबंध में वादी/अपीलार्थी ने विधि के अंतर्गत निहित बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं किया है।

15. उक्त संबंध में वादी/अपीलार्थी द्वारा विधि की मंशा के अनुरूप कस्टम के अस्तित्व के संबंध में प्रमाण भार डिस्चार्ज नहीं किया गया है न ही प्रत्यर्थी द्वारा तत्संबंध में उक्त प्रकार के किसी कस्टम के अस्तित्व में होने के तथ्य को साबित किया है।

16. वादी/अपीलार्थी शांतिबाई ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि वादी/अपीलार्थीगण, मूल पुरुष कोपा के पुत्र फगनू के वारिसान है तथा प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण कोपा की पुत्री जुगरीबाई के वारिसान है। मूल पुरुष कोपा खसरा क्रमांक 45 रकबा 15.53 एकड़, खसरा क्रमांक 51 रकबा 12.44 एकड़, खसरा नंबर 52 रकबा 14 एकड़, खसरा नंबर 38/28 रकबा 0.57 एकड़ भूमि पर काश्त करते थे। कोपा को भूमिधारी एवं भूमि स्वामी हक प्राप्त नहीं थे। कोपा ने अपने जीवनकाल में खसरा नंबर 45 रकबा 15.33 एकड़ भूमि को विक्रय करने के उपरान्त शेष भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 12.44, खसरा नंबर 52 रकबा 14 एकड़, खसरा नंबर 38/28 रकबा 0.57 एकड़ ग्राम कोयलीखापा प.ह.न. 55, रा.नि.मं. बैहर स्थित भूमि पर कोपा की मृत्यु पश्चात्

कोपा की पत्नी जेठियाबाई, पुत्र छोटेलाल एवं फगनू काशत करते थे। उक्त भूमि उन्हें वर्ष 1954-55 में हक अधिकार में प्राप्त हुई थी तथा उक्त भूमि जेठियाबाई, छोटेलाल एवं फगनू की स्व-अर्जित भूमि का भाग थी।

17. आगे मुख्य परीक्षण की कंडिका 5 में कहा है कि वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि ग्राम कोयलीखापा स्थित प.ह.न. 55 में खसरा नंबर 51 रकबा 5.70 एकड़ एवं खसरा नंबर 52 रकबा 14 एकड़ भूमि है। उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास कोई अन्य भूमि नहीं है। आगे यह भी कहा है कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि पर बिना हक अधिकार के अवैधानिक रूप से बंटवारा कर अपना नाम दर्ज करवा लिये है जबकि विवादित भूमि की हक व मालिकाना स्वत्व वादीगण की है।

18. वादी/अपीलार्थी शांतिबाई ने वाद के समर्थन में अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रति प्र.पी. 1, पंचसाला खसरा वर्ष 1993-94 से 1997 की प्रमाणित प्रति प्र.पी. 2, बंटवारा पत्र दिनांक 30.09.2014 की प्रमाणित प्रति प्र.पी. 3, प्र.पी. 4, खसरा वर्ष 2014-15 फौती दाखिला दिनांक 27.01.2012 का संशोधन क्रमांक 29 लेख है, कि सत्यापित प्रति प्र.पी. 5 एवं खसरा वर्ष 2015-16 दिनांक 30.09.2014 की प्रति प्र.पी. 6 पेश किया है। अपीलार्थी/वादी साक्षी होशियारसिंह एवं रमेश सिंह ने शांतिबाई के कथन का फार्मल अनुसमर्थन किया है।


19. राजस्व प्रपत्रों के सूक्ष्म परीक्षण से यह पाया जाता है कि वर्ष 1954-55 में वादग्रस्त भूमियां मूल पुरुष कोपा की विधवा जेठियाबाई, पुत्र छोटेलाल एवं फगनू के नाम अभिलिखित है।

20. वंशवृक्ष के अनुसार गणना करने पर वादग्रस्त भूमियों में वादी/अपीलार्थीगण का सामूहिक रूप से 1/4 अंश निकलता है अर्थात् वादी/अपीलार्थी क्रमांक 1 शांतिबाई का 1/12 अंश भाग, झगलीबाई का 1/12 अंश भाग एवं अपीलार्थी क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 क्रमशः झामसिंह,

तोपसिंह, लोकसिंह, शिवानी का सामूहिक रूप से 1/12 अंश भाग निकलता है तथा प्रत्यर्थीगण जुगरीबाई के समस्त वारिसान का सामूहिक रूप से 1/4 अंश भाग निकलता है एवं सन्ता का 1/4 अंश भाग एवं बसन्ता का 1/4 अंश भाग निकलता है।

वंश वृक्ष

मूल पुरुष
कोपा (फौत)



21. उक्त विवेचन और विलेषण के आधार पर निष्कर्ष यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमियों के संबंध में आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री उपरोक्तानुसार संशोधित की जाती है :-

(A) वादी/अपीलार्थी क्रमांक 1 शांतिबाई वादग्रस्त भूमि (मौजा कोयलीखापा, प.ह.न. 55 रा.नि.मं. बैहर वर्तमान रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट

स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 51 रकबा 5.70 एकड़, खसरा क्रमांक 52 रकबा 14 एकड़) में 1/12 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

(B) वादी/अपीलार्थी क्रमांक 2 झगलीबाई वादग्रस्त भूमि में 1/12 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

(C) वादी/अपीलार्थी क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 क्रमशः झामसिंह तोपसिंह लोकसिंह एवं शिवानी वादग्रस्त भूमि में 1/12 अंश भाग सामूहिक रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।

(D) प्रत्यर्थी जुगरीबाई की समस्त वारिसान वादग्रस्त भूमि में 1/4 अंश भाग सामूहिक रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।

(E) प्रत्यर्थी संता वादग्रस्त भूमि में 1/4 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

(F) प्रत्यर्थी बसंता वादग्रस्त भूमि में 1/4 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

22. वादी/अपीलार्थीगण तत्संबंध में स्थानीय कलेक्टर के समक्ष आदेश 20 नियम 18 सहपठित धारा 54 सी.पी.सी. के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार अपने-अपने अंश भाग का पृथक् बंटवारा एवं कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

23. उक्तानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

24. उभयपक्ष अपना-अपना अपील व्यय वहन करेंगे।

25. अभिभाषक शुल्क नियमानुसार प्रमाणित होने पर देय हो।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर मुद्रित।

सही / —

दिनांक :: 07 मई 2018

(वाचस्पति मिश्र)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
श्रृंखला न्यायालय बैहर
जिला-बालाघाट

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order-XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. **RCA / 17 OF 2017**

IN THE COURT OF वाचस्पति मिश्र, प्र.अ.जि.न्या.बालाघाट
शृंखला न्यायालय- बैहर

- =====
- 1- शांतिबाई उम्र 50 वर्ष पिता फगनू पति भगत जाति गोंड निवासी-पांडूतला
 - 2- झगलीबाई उम्र 40 वर्ष पिता फगनी पति दशरत गोंड निवासी-टोपला
 - 3- झामसिंह उम्र 24 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
 - 4- तोकसिंह उम्र 22 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
 - 5- लोकसिंह उम्र 20 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
 - 6- शिवानी उम्र 18 वर्ष पिता कार्तिकराम गोंड निवासी अगनतरा
- सभी तहसील बैहर जिला बालाघाट - - अपीलार्थी गण/वादीगण

:: बनाम ::

- 1- अमरोतिनबाई उम्र 50 वर्ष पिता सुदामा जाति गोंड साकिन अलना
 - 2- हरिलाल उम्र 24 वर्ष पिता सुदामा जाति गोंड साकिन अलना
 - 3- सुखदेव उम्र 40 वर्ष पिता नवनलसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 4- देवेन्द्र उम्र 28 वर्ष पिता बखरुसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 5- संजय उम्र 35 वर्ष पिता बखरुसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 6- जेटूसिंह उम्र 60 वर्ष पिता कोपसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 7- टेकसिंह उम्र 40 वर्ष पिता कोपसिंह जाति गोंड साकिन अलना
 - 8- म0प्र0 शासन तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट
- सभी तहसील बैहर जिला बालाघाट - - प्रत्यर्थी गण/प्रतिवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट dated the 28 day 06-2017 Civil Suit No. 10A of 2017.

This appeal coming on for hearing on the 27day of App. 2018 before me in the presence of-

श्री एम0पी0 शरणागत अधिवक्ता .for the appellant and of

श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता .for the respondent No. 1 to 6

It is ordered and decreed that -

अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमियों के संबंध में आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री उपरोक्तानुसार संशोधित की जाती है :-

- (A) वादी/अपीलार्थी क्रमांक 1 शांतिबाई वादग्रस्त भूमि (मौजा कोयलीखापा, प.ह.न. 55 रा.नि.मं. बैहर वर्तमान रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 51 रकबा 5.70 एकड़, खसरा क्रमांक 52 रकबा 14 एकड़) में 1/12 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
- (B) वादी/अपीलार्थी क्रमांक 2 झगलीबाई वादग्रस्त भूमि में 1/12 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
- (C) वादी/अपीलार्थी क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 क्रमशः झामसिंह तोपसिंह लोकसिंह एवं शिवानी वादग्रस्त भूमि में 1/12 अंश भाग सामूहिक रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।
- (D) प्रत्यर्थी जुगरीबाई की समस्त वारिसान वादग्रस्त भूमि में 1/4 अंश भाग सामूहिक रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।
- (E) प्रत्यर्थी संता वादग्रस्त भूमि में 1/4 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
- (D) प्रत्यर्थी बसंता वादग्रस्त भूमि में 1/4 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
- (E) वादी/अपीलार्थीगण तत्संबंध में स्थानीय कलेक्टर के समक्ष आदेश 20 नियम 18 सी.पी.सी. सहपठित धारा 54 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार अपने-अपने अंश भाग का पृथक् बंटवारा एवं कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।
- (F) उक्तानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।
- (G) उभयपक्ष अपना-अपना अपील व्यय वहन करेंगे।
- (H) अभिभाषक शुल्क नियमानुसार प्रमाणित होने पर देय हो।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees अपना-अपना are to be Paid by the **Appellants.**

Given under my hand and the seal of the Court, this **07 day of May 2018.**

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	1120.00	Stamp for Power	20.00
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	-
3.	Stamp for Exhibits	-	Service of Processes	05.00
4.	Service of Processes	-	Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-
5.	Pleader's Fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-		
6.	Application & Affidavite	-		
	Total :-	1130.00	Total :-	25.00
(एक हजार एक सौ तीस रु. मात्र)			(पच्चीस रु. मात्र)	

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर